<u>**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर।**</u>

सत्र परीक्षण वाद संख्या 1083/2026

सरकार—— बनाम—— करन कुमार आदि

मु0अ0सं0 06/2026,

धाराः 69, 115(2), 352, 118(1) बी0एन0एस0,

थाना— को0 टाण्डा, जनपदः— अम्बेडकर नगर।

<u>**आदेश**</u>

<u>**01.07.2026**</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगणगण करन कुमार, अर्जुन, अजय व नीतू व्यक्तिगत उपस्थित। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान ए0डी0जी0सी0 'फौ0' को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां प्रदान की गयी।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 'फौ0' द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का विवरण दिया, जिनके आधार पर उन्हें आरोपों को साबित करना है।

अभियुक्तगण की तरफ से कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में उन्हें रंजिशन गलत तरीके से व परेशान करने की गरज से झूंठा फंसाया गया है, और वह निर्दोष हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 69, 115(2), 352, 118(1) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत आरोप विरचन हेतु प्रथम दृष्टया प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार, अभियुक्तगण के विरुद्ध उपर्युक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत आरोप विरचन की जाये।

<u>दिनांकः 01.07.2026</u>

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837

अभियुक्त **करन कुमार** के विरूद्ध धारा 69, 115(2), 352, 118(1) बी0एन0एस0 तथा अभियुक्तगण **अर्जुन, अजय व नीतू** के विरूद्ध धारा 352 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत आरोप विरचना की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 20.07.2026 को पेश हो। साक्षीगण तलब हो।

<u>दिनांकः 01.07.2026</u>

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.07.01 17:19:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर।</u>

सत्र परीक्षण वाद संख्या 1083/2026

सरकार—— बनाम—— करन कुमार आदि

मु0अ0सं0 06/2026,

धाराः 69, 115(2), 352, 118(1) बी0एन0एस0,

थाना— को0 टाण्डा, जनपदः— अम्बेडकर नगर।

<u>आरोप</u>

मैं परविन्द कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम), अम्बेडकर नगर एतदद्वारा आप अभियुक्तगण करन कुमार, अर्जुन, अजय व नीतू को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँः—

1. यह कि दिनांक व समय अदम तहरीर पर बहद स्थान काशीराम कॉलोनी, थाना को0 टाण्डा, जनपद—अम्बेडकर नगर में आप अभियुक्त **करन कुमार** ने वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता को शादी का झांसा देकर प्रवंचना करके उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग कारित किया। इस प्रकार, आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा—69 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त **करन कुमार** ने वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता को मार पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार, आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा—115(2) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपर्युक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त **करन कुमार** ने वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता को खतरनाक धारदार हथियार से मार पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार, आपने ऐसा कार्य किया है, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 118(1) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपर्युक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण **करन कुमार, अर्जुन, अजय व नीतू** ने वादिनी मुकदमा की पुत्री/पीड़िता को भद्दी—2 गालियां देकर लोकशांति को भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया। इस प्रकार, आपने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा—352 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएवं आप अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपर्युक्त अपराध के तहत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनांकः 01.07.2026</u>

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

<u>दिनांकः 01.07.2026</u>

(परविन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम),
अम्बेडकर नगर।
I.D.No.UP01837